

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 16.06.2025

दबिश के दौरान 04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में-

थाना महुली पुलिस द्वारा गिरफ्तार वारण्टी का नाम पता संतोष पुत्र चन्दूलाल निवासी बेलवाडाड़ी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री चन्द्रप्रकाश सिंह, हे0का0 पंकज यादव।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा गिरफ्तार वारण्टी का नाम पता मो0 रजा पुत्र सुवई निवासी गजया थाना कलवारी जनपद बस्ती को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री सचिन्द्रनाथ राय, हे0का0 सोनू पटेल।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार वारण्टी का नाम पता समशेर बंजारा पुत्र टिकोरी बंजारा निवासी दुर्गजोत गौरी का पुरवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 कामेश्वर सिंह, हे0का0 वीरेन्द्र कुमार।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा गिरफ्तार वारण्टी का नाम पता श्रीराम पुत्र पटेश्वरी निवासी करमहिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री प्रमेश मिश्रा, का0 प्रदीप शाह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 16 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 86 वाहनों से 1,96,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 16.06.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संधिस्थ व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 86 वाहनों से 1,96,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजय सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0स0 86/2025 धारा 108 बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता रिजवान अली पुत्र असगर अली निवासी गौरखास थाना गोला जनपद गोरखपुर को होण्डा एजेंसी डीघा बाईपास के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 31.01.2025 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी की पुत्री द्वारा आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 16.06.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0 श्री अवधेश सिंह यादव, हे0का0 अनिल कुमार सिंह, का0 सतवन्त सिंह, का0 रंजन कुमार राजभर।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजय सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 510/2025 धारा 64(2)एम बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता करम हुसैन पुत्र मुख्तार अहमद निवासी बिधियानी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 15.06.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर तहरीर दिया गया कि वादी की पुत्री व अभियुक्त का प्रेम प्रसंग पूर्व से था परन्तु दिनांक 15.06.2025 को वादी के घर में घुसकर वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 16.06.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, उ0नि0 श्री इल्ताफ खान।

***थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में
वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के पर्यवेक्षण में *थाना बखिरा पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 230/2025 धारा 69 बीएनएस व 3(2)V SC/ST ACT के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता बिरजू साहनी पुत्र चन्द्रशेखर निवासी कर्जवनिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को दुर्गजोत चौराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने संबंध में वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 15.06.2025 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री आजम अंसारी, का0 प्रमोद शर्मा व का0 शिवशंकर यादव।